

समान नागरिकी संहिता

प्रलिस के लयः

[समान नागरिकी संहिता \(UCC\)](#), [राज्य नीतके नरदेशक सदिधांत](#), [हदू लॉ](#), [वधिआयोग](#)

मेन्स के लयः

भारतीय राजनीतमें राज्य के नीतनिदेशक सदिधांतों का महत्त्व, समान नागरिकी संहिता (UCC) की चुनौतयें एवं महत्त्व ।

[स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

78वें सवतंत्रता दविस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने समान नागरिकी संहिता (Uniform Civil Code- UCC) की मांग की तथा इसने नरिपेक्ष नागरिकी संहिता के रूप में संबोधत कयि ।

समान नागरिकी संहिता क्या है?

परचयः

- समान नागरिकी संहिता का उल्लेख भारतीय संवधान के अनुच्छेद 44 में कयि गया है, जो [राज्य नीतके नरदेशक सदिधांत](#) (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है । अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लयि एक समान सविलि संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।"
 - हालौंकि इसका कार्यानवयन सरकार के वविक पर छोड़ दयि गया है ।
- गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, जहाँ वर्ष 1867 के पुरतगाली नागरिकी संहिता के अनुरूप समान नागरिकी संहिता लागू है ।

ऐतहासिक संदर्भः

- अंगरेजों ने भारत में एक समान आपराधिक कानून स्थापत कयि , लेकनि उन्होंने पारवारिक कानूनों को उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण मानकीकृत करने से परहेज कयि ।
- बहस के दौरान संवधान सभा ने समान नागरिकी संहिता पर चर्चा की थी लेकनि मुसलमि सदस्यों ने सामुदायिक व्यक्तगत कानूनों पर इसके प्रभाव के बारे में चति जताई तथा धार्मिक प्रथाओं के लयि सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा ।
- दूसरी ओर के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी और बी.आर. अंबेडकर जैसे समर्थकों ने समानता को बढ़ावा देने के लयि समान नागरिकी संहिता की समर्थन की ।

UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुखः

- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस, 1985: न्यायालय ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि "अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बन कर रह गया है" और इसके कार्यानवयन का समर्थन कयि ।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995 और जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ, 2003: न्यायालय ने UCC को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दयि ।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दयि कि तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और मुसलमि महिलाओं की गरमि और समानता का उल्लंघन करती है ।
 - इसमें यह भी सुझाव दयि गया कि संसद को मुसलमि वविह और तलाक को वनियमति करने के लयि कानून पारत करना चाहयि ।
- जोस पाउलो कॉउटनिहो बनाम मारयिा लुइज़ा वेल्लैटिनी परेरा केस, 2019: न्यायालय ने गोवा की प्रशंसा एक "उज्ज्वल उदाहरण" के रूप में की, जहाँ "समान नागरिकी संहिता सभी पर लागू होती है, चाहे वह कसि भी धर्म का हो, सविय कुछ सीमति अधिकारों की रक्षा के" और पूरे भारत में इसके कार्यानवयन का आह्वान कयि ।

वधिआयोग का रुखः

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्त बिलबीर सहि चौहान के नेतृत्व में 21वें वधिआयोग ने "पारवारिक कानून में सुधार" पर एक परामर्श पत्र जारी कयि, जसमें कहा गया कि "इस स्तर पर समान नागरिकी संहिता का नरिमाण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है ।"

UCC का महत्त्व क्या है?

- **राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता:**
 - एकता को बढ़ावा देना: समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच साझा पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके **राष्ट्रीय एकीकरण** और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी।
 - **संघर्षों में कमी:** इससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और संप्रदायिक संघर्षों में कमी आएगी।
 - **संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना:** UCC सभी व्यक्तियों के लिये समानता, बंधुत्व और सम्मान के सिद्धांतों को सुदृढ़ करेगी।
- **लैंगिक न्याय और समानता:**
 - **समानता सुनिश्चित करना:** UCC विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण में महिलाओं को **समान अधिकार तथा दर्जा प्रदान** करके लैंगिक भेदभाव एवं उत्पीड़न को दूर करेगी।
 - यह महिलाओं को **पतिसत्तात्मक** और प्रतगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिये सशक्त करेगी, जो उनके **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन करती हैं।
- **कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:**
 - **कानूनों को सरल बनाना:** समान नागरिक संहिता विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं और **विरिधाभासों** को समाप्त करके **कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित** और तर्कसंगत बनाएगी।
 - **कानूनी ढाँचे में सामंजस्य:** यह विधि व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न विसंगतियों और खामियों को दूर करके **सविलि और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित** करेगी।
 - **सुगम्यता में वृद्धि:** UCC सामान्य जनता के लिये कानूनी प्रणाली को अधिक सुगम्य और समझने योग्य बनाएगी।
- **पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार:**
 - **प्रथाओं का नवीनीकरण:** समान नागरिक संहिता कुछ व्यक्तिगत कानूनों में पुरानी और **प्रतगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार** करेगी।
 - **हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना:** यह **मानव अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत प्रथाओं, जैसे तीन तलाक, बहुविवाह और बाल विवाह** को समाप्त करेगी।

UCC के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **विधि व्यक्तिगत कानून:** भारत के कई समुदाय **विवाह, तलाक, वरिषत और उत्तराधिकार** के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं। इन विधि प्रथाओं को एक ही संहिता में समेटना एक बड़ी चुनौती है।
- **धार्मिक संवेदनशीलताएँ:** विभिन्न धार्मिक समुदायों की परंपराएँ और कानून गहराई से जुड़े हुए हैं।
 - वे यह भी तर्क देते हैं कि **UCC अनुच्छेद 25** के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- **राजनीतिक एवं सामाजिक वरिषध:** UCC को प्रायः राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है। पार्टियाँ एवं नेता चुनावी वचनों के आधार पर UCC का वरिषध या समर्थन कर सकते हैं, जिससे असंगत नीतियाँ और साथ ही कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।
- **सामाजिक चिंताएँ:** ऐसी आशंका है कि UCC पारंपरिक प्रथाओं को बाधित कर सकती है तथा सामाजिक अशांति उत्पन्न कर सकती है।
- **वधायी एवं कानूनी बाधाएँ:** एक व्यापक समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिये व्यापक **वधायी कार्य एवं वसित कानूनी प्रारूपण** के साथ-साथ विभिन्न कानूनों को संबोधित करने के लिये **प्रशासनिक क्षमताओं की आवश्यकता** होती है।

आगे की राह

- **एकता एवं एकरूपता:** समान नागरिक संहिता को भारत की **बहुसंस्कृतविाद को स्वीकार करना चाहिये और इसकी विधिता को बनाए रखना चाहिये, और साथ ही इस बात पर ज़ोर देना चाहिये कि एकता, एकरूपता से अधिक महत्त्वपूर्ण है।**
 - भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने के लिये एकीकरणवादी तथा बहुसांस्कृतिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों का समर्थन करता है।
- **हतिधारकों के साथ चर्चा एवं वचिर-वमिर्श:** UCC के विकास एवं कार्यान्वयन में धार्मिक नेताओं, कानूनी वरिषज्जों एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित व्यापक हतिधारकों को शामिल करना आवश्यक है।
 - यह सहभागिता सुनिश्चित करती है कि UCC विधि दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने के साथ-साथ सभी नागरिकों द्वारा इसे नषिपक्ष और वैध माना जाए।
- **संतुलन बनाना:** कानून निर्माताओं को उन प्रथाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो संवैधानिक मानकों के साथ संघर्ष करती हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सांस्कृतिक प्रथाएँ वास्तविक समानता और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संरेखित हों।
 - समुदायों को अलग-थलग कथि बना सांस्कृतिक रूप से **संवेदनशील प्रथाओं को एक समान प्रणाली** में शामिल करने के लिये एक बेहतर संतुलन बनाया जाना चाहिये।
- **संवैधानिक परिपेक्ष्य:** भारतीय संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता का समर्थन करने के साथ ही सांस्कृतिक समायोजन का लक्ष्य रखता है, जिसमें **अनुच्छेद 29(1) सभी नागरिकों की वशिषिट संस्कृतियों की रक्षा करता है।**
 - समुदायों को यह आकलन करना चाहिये कि क्या बहुविवाह एवं तलाक जैसी प्रथाएँ उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं। उनका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण संहिता बनाना होना चाहिये, जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे।
- **शिक्षा एवं जागरूकता:** यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिक UCC के बारे में जागरूक हों, उसे समझें और साथ ही उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यापक पहुँच एवं शैक्षणिक प्रयासों की आवश्यकता है।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों का कसि प्रकार से प्रभावी समाधान कया जा सकता है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. भारत के संवधान में नहिति राज्य के नीतनिदेशक सदिधांतों के तहत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. भारत के नागरिकों के लयि एक समान नागरिक संहति सुनश्चिति करना
2. ग्राम पंचायतों का गठन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कूटीर उद्योगों को बढावा देना
4. सभी श्रमकों के लयि उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरकषति करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सदिधांत हैं जो राज्य के नीतनिदेशक सदिधांतों में परलिकषति होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. उन संभावति कारकों पर चर्चा कीजयि, जो भारत को अपने नागरिकों के लयि एक समान नागरिक संहति लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीतनिदेशक सदिधांतों में प्रदान कया गया है। (2015)